न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 109/2024 राजस्व वाद

उनवान

1. देबीलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हरलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सम्पतलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. उदयलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भागुती देवी पुत्री नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मेगा पुत्री नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नानु पिता शोभा दरोगा उम्र वयस्क मृतक के जरिये
   1/1प्रेम देवी पत्नी नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/2 शांता पुत्री नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/3 रतनी पुत्री नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/4 बालू पुत्र नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/5 सम्पत पुत्र नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सज्जन पिता शोभा दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. कन्हैयालाल पिता शोभा दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. दुर्गा पुत्री शोभा दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. हनुमान पिता मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. जसु बेवा मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. सुशीला पुत्री मदनलाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. गुड्डी पुत्री मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. विमला पुत्री मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सोमानी उपस्थित

वादपत्र बाबत विभाजन कृषि जायदाद
अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

वादीगण की ओर से दिनांक 01.08.2017 को अन्तर्गत धारा 53, 54 राजथान काश्तकारी अधिनियम में वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे की कृषि आराजी ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार आराजी संख्या 855, 863 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 855, 863 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित है, लेकिन वादीगण आराजी संख्या 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। मौके पर बहामी बंटवाड़ा कर रखा है एवं प्रतिवादीगण आराजी संख्या 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा पर काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लगान इत्यादि को लेकर निरन्तर विवाद होता रहता है। इस कारण से वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी का अपने अपने कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाना चाहते है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण को आराजी संख्या 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में सम्पूर्ण हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग से खाता दर्ज करवाया जावे एवं लगान इत्यादि भी अलग से तय करवाया जावे।

ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 855, 863 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा विवादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण अपने हक हिस्से आराजी संख्या 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है एवं उक्तानुसार विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व रेकॉर्ड में भी वादीगण का खाता अलग से दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 855, 863 कुल किता 02 कुल रकबा 3 बिघा 3 बिस्वा भूमि संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को बिना विभाजन कराये ही रहन बय बख्क्षीस द्वारा अन्य व्यक्तियों को अन्तरण करने पर आमादा है। इस कारण से स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल नहीं करे तथा जब तक उक्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं हो जावे, तब तक उपरोक्त वर्णित आराजीयात या किसी भी भू-भाग को विक्रय रहन बय बख्क्षीस या अन्य किसी भी प्रकार से अंतरण नहीं करे।

वादीगण का वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। दिनांक 10.02.2021 को आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाब्ता दीवानी पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि सहवन से वादपत्र में ग्राम पांसल अंकित हो गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का दरीबा की है। प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2021 को अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया गया।

दिनांक 12.07.2021 को वकील वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 23.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली को वास्ते कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 16.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सोमाणी ने पेश किया। पत्रावली कायम मुकाम प्रार्थना पत्र जवाब/बहस मे नियत की गई।

दिनांक 27.06.2022 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी में पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी के बजाय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी पढ़ा जाने की प्रार्थना की गई। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 31.03.2022 को दिनांक 27.06.2022 को स्वीकार किया गया। वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी में प्रतिवादी संख्या 1 नानु पिता शोभा दरोगा मृतक निवासी कोटड़ी के बजाय प्रेमदेवी पत्नी, शांता पुत्री, रतनी पुत्री, बालु पत्र, सम्पत पुत्र को विधिक वारिसान है इनके अलावा कोई विधिक वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी 100/- रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1/1 से लगायत 1/5 के जवाब हेतु नियत की गई।

दिनांक 08.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 1/1 से लगायत 1/5 का जवाब पेश नहीं होने से जवाब बंद किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की गई।

दिनांक 08.04.2024 को निरन्तर अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर प्रवितादीगण का जवाब बंद किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खाते की भूमि ग्राम कोटड़ी प0 ह0 दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से, अनुसार व कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार भीलवाड़ा को पक्षकारान की उपस्थिति में उक्तानुसार विभाजन बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 23.12.2024 को प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भीलवाड़ा से कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त हुये। वादग्रस्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के क्षेत्राधिकार की नहीं होकर न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के क्षेत्राधिकार में होने से पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा को अन्तरित की गई।

31/1/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा में अन्तरण होकर प्राप्त होने पर प्रकरण को 109/2024 नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर कुरेजात प्रस्ताव पर आपत्ति आक्षेप हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक 10.01.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा कुरेजात प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई तथा दिनांक 17.1.2025 को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई, वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की कुरेजात प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र भिजवाये गये, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार करने पर पटवारी हल्का दरीबा द्वारा प्रतिवादीगण के मकान पर सूचना पत्र चस्पा करने की रिपोर्ट की है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कराने के इच्छुक नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुरूप तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर कुरेजात प्रस्ताव तैयार किये गये है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति आक्षेप खारिज किया जाकर अंतिम डिक्री पारित की जाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारे का आदेश जारी किया गया है जबकि तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में कब्जे काश्त के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः पुनः प्रस्ताव मंगवाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा रिवीटल बहस में निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रथमतः कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन का आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1855 की धारा 53 के क्रियान्वयन हेतु निर्मित नियम राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 (e) की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि ग्राम कोटड़ी की आराजी नम्बर 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर कब्जा–काश्त है तथा प्रतिवादीगण का आराजी नम्बर 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर कब्जा–काश्त है। उक्तानुसार ही तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पक्षकारान् को आवश्यक सूचना पत्र दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। अतः विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादी के वाद में अंतिम डिक्री जारी की जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस का मनन एंव चिंतन किया गया, सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित कुरेजात प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में से ग्राम कोटड़ी की आराजी नम्बर 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का वादीगण को खातेदार एवं आराजी संख्या 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित कर दिया जावे।

—:आदेश:—

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोटड़ी की आराजी नम्बर 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के सम्पूर्ण हिस्से का वादीगण को खातेदार एवं आराजी नम्बर 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

31/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. देबीलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हरलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सम्पतलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. उदयलाल पुत्र नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भागुती देवी पुत्री नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मेगा पुत्री नानुराम गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नानु पिता शोभा दरोगा उम्र वयस्क मृतक के जरिये
   1/1प्रेम देवी पत्नी नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/2 शांता पुत्री नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/3 रतनी पुत्री नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/4 बालू पुत्र नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/5 सम्पत पुत्र नानू दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सज्जन पिता शोभा दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. कन्हैयालाल पिता शोभा दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. दुर्गा पुत्री शोभा दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. हनुमान पिता मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. जसु बेवा मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. सुशीला पुत्री मदनलाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. गुड्डी पुत्री मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. विमला पुत्री मदन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत विभाजन कृषि जायदाद
अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 109/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 31.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोटड़ी की आराजी नम्बर 863 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के सम्पूर्ण हिस्से का वादीगण को खातेदार एवं आराजी नम्बर 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

31/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा